

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- पी0पी0एम0-46 / 2016-
प्रेषक,

3822

/कृ0, पटना, दिनांक 01/9/2016

रागजी सिंह,
सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(1) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं एम.आई.डी.एच. के अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु वर्ष 2016-17 में 47.7075 करोड़ (सैंतालीस करोड़ सत्तर लाख पचहत्तर हजार) रुपये सहायतानुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 0.4771 करोड़ (सैंतालिस लाख एकहत्तर हजार) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं एम.आई.डी.एच. के अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु वर्ष 2016-17 में 47.7075 करोड़ (सैंतालीस करोड़ सत्तर लाख पचहत्तर हजार) रुपये सहायतानुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 0.4771 करोड़ (सैंतालिस लाख एकहत्तर हजार) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. बागवानी विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह राज्य के 23 जिलों में कार्यान्वित किया जायेगा, जिसका वित्त पोषण केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की निधि से किया जा रहा है।

3. राज्यादेश केन्द्रांश की विमुक्ति की प्रत्याशा में निर्गत किया जा रहा है तथा केन्द्र से अनुकूल राशि की विमुक्ति के पश्चात राशि की निकासी की जायेगी।

4. राष्ट्रीय बागवानी मिशन में भारत सरकार द्वारा कार्यमद, इकाई लागत एवं अनुदान दर निर्धारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत वास्तविक लागत से कम है। राज्य सरकार के द्वारा कतिपय मदों में अतिरिक्त अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का 2016-17 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसूची-1 संलग्न है। विभागीय यूनिट कॉस्ट कमिटी का अनुमोदन अनुसूची-2 एवं अतिरिक्त अनुदान विवरणी अनुसूची-3 संलग्न है।

5. प्रस्ताव में शामिल योजनाओं के लिए कतिपय कार्यक्रमों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई दर को यथावत् रखते हुये गत वर्ष 10-15% अतिरिक्त टॉप अप अनुदान राज्य मद की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस अतिरिक्त अनुदान को अक्षुण्ण रखा गया है। तदनुसार राशि की आवश्यकता का आकलन किया गया है। वर्द्धित अनुदान गत वर्ष की भांति समान रूप से सभी जिलों में एक समान लागू होगी।

6. बागवानी मिशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति गठित है। बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के राज्य स्तर पर कार्यकारी प्रधान मिशन निदेशक एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलो के जिला पदाधिकारी हैं।

7. स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना द्वारा बी0टी0सी0-46 पर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से की जायेगी तथा बिहार बागवानी मिशन सोसायटी के पी0एल0 खाता संख्या-291 में आंतरित की जायेगी। बिहार बागवानी विकास सोसाईटी अपने पी.एल. खाता से योजना की उक्त राशि दो समान किस्तों में आहरित कर संबंधित जिला बागवानी विकास सोसाईटी को योजना कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध करायेगी। विपत्र में योजना स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। बिहार बागवानी विकास सोसाईटी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए केन्द्रांश के समानुपातिक राज्यांश की राशि विमुक्त की जायेगी। कार्यक्रम के लिए स्वीकृत राशि बजट उपबंध की सीमा में सोसायटी को विमुक्त की जायेगी। योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथाआवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

8. निकासी के लिए कुल स्वीकृत राशि 0.4771 करोड़ (सैंतालिस लाख एकहत्तर हजार) रुपये में से केन्द्रांश की राशि 0.2631 करोड़ (छब्बीस लाख एकतीस हजार) रुपये का व्यय मुख्य शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या-01, उप शीर्ष 0257-राष्ट्रीय बागवानी मिशन, विपत्र कोड P2401007960257, पी०एफ०एम०एस० कोड- 9141, विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद में वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि 0.60 करोड़ रुपये से विकलनीय होगा।

निकासी के लिए कुल स्वीकृत राशि 0.4771 करोड़ (सैंतालिस लाख एकहत्तर हजार) रुपये में से राज्यांश की राशि 0.1754 करोड़ (सतरह लाख चौवन हजार) रुपये का व्यय मुख्य शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या-01, उप शीर्ष 0357-राष्ट्रीय बागवानी मिशन, विपत्र कोड P2401007960357, पी०एफ०एम०एस० कोड- 9141, विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद में वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि 0.40 करोड़ रुपये से विकलनीय होगा।


निकासी के लिए कुल स्वीकृत राशि 0.4771 करोड़ (सैंतालिस लाख एकहत्तर हजार) रुपये में से राज्य योजना मद से अतिरिक्त टॉप-अप की राशि 0.0386 करोड़ (तीन लाख छियासी हजार) रुपये का व्यय मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष- 00, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग-संख्या-01, उपशीर्ष 0152- उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड P2401007960152, विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद में वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि 1.00 करोड़ रुपये से विकलनीय होगा।

9. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक: 05.08.2016 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या- पी०पी०एम०-46/2016 के पृ०सं०- 15/टि. पर प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- पी०पी०एम०-46/2016 के पृ०सं०-22/टि. पर दिनांक-23.08.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(रामजी सिंह)

सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पी0पी0एम0-46/2016 3822 /कृ0, पटना, दिनांक 01/07/2016

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15) 24/8/16
सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पी0पी0एम0-46/2016 3822 /कृ0, पटना, दिनांक 01/07/2016

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15) 24/8/16
सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पी0पी0एम0-46/2016 3822 /कृ0, पटना, दिनांक 01/07/2016

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15) 24/8/16
सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- पी0पी0एम0-46/2016 3822 /कृ0, पटना, दिनांक 01/07/2016

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, वामेति, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(15) 24/8/16
सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची-1
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (2016-17)

क्र० सं०	विवरण	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रुपये में)			कुल	अग्रगुणित
			केन्द्रांश	राज्यांश	अतिरिक्त राज्यांश (टॉप-अप सहायतानुदान)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	टिशू कल्चर लैब की स्थापना (सार्वजनिक क्षेत्र)	1	150.00	100.00		250.00	
4	अनानास (सकर से)	100 हे०	15.75	10.50	8.75	35.00	
5	टिशू कल्चर केला	1200 हे०	270.00	180.00	150.00	600.00	
6	गपीता	200 हे०	27.00	18.00		45.00	
7	सघन बागवानी					0.00	
i	आम	400 हे०	96.00	64.00	40.00	200.00	
ii	लीची	100 हे०	24.00	16.00	10.00	50.00	
iii	अगरूद	60 हे०	12.00	8.00	5.00	25.00	
iv	आंवला	60 हे०	12.00	8.00	5.00	25.00	
8	बहुवर्षीय फलवार वृक्षों की चारों साल में देखभाल	700 हे०				0.00	
9	मशरूम					0.00	
i	मशरूम उत्पादन इकाई	2	9.60	6.40	4.00	20.00	
ii	मशरूम रसीन उत्पादन इकाई	2	7.20	4.80	3.00	15.00	
iii	मशरूम कंपोस्ट उत्पादन इकाई	1	4.80	3.20	2.00	10.00	
10	पुष्प की खेती					0.00	
i	कटे पुष्प	30 हे०	7.20	4.80	3.00	15.00	
ii	खुले पुष्प	200 हे०	19.20	12.80	8.00	40.00	
11	गसाला फसलों की खेती	200 हे०	14.40	9.60	6.00	30.00	
12	संगंधीय पौधों की खेती	300 हे०	28.80	19.20	12.00	60.00	
13	पूराने बागों का जीर्णोद्धार	25 हे०	3.00	2.00		5.00	
14	संरक्षित खेती					0.00	
i	ग्रीन हाउस दृशुबलर संरचना	50000 वर्ग मीटर	140.25	93.50		233.75	
ii	शेड-नेट					0.00	
a	शेड-नेट (दृशुबलर संरचना)	20000 वर्ग मीटर	42.60	28.40		71.00	
b	प्लास्टिक टनेल (Rs. 60/sqm)	10000 वर्ग मीटर	1.80	1.20		3.00	
iii	वाक. इन टनेल	10000 वर्ग मीटर	18.00	12.00		30.00	
iii	ग्रीन हाउस में उच्च लागत का सब्जी उत्पादन के लिए बीज	30000 वर्ग मीटर	12.60	8.40		21.00	

Sankhli (AAP) 2016-17, dt. 17.06.2016

संजय कुमार सिन्हा

डॉ० अजीम कुमार

4/27

